


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : अक्टूबर 26, 2016

सं. एफ. 12(139)एफडी/टैक्स/2015-05 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(139)एफडी/टैक्स/2015-05 दिनांक 13.04.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राज्यपाल के आदेश से,



(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

“सं. एफ.12(139)एफ.डी./टैक्स/2015-05

जयपुर, दिनांक : 13.04.2016

आदेश

दिनांक 11.03.2016 को यथा संशोधित, राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 26/2016 दिनांक 13.02.2016 के अनुपालन में और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “स्कीम” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के खण्ड 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस आदेश में यथा प्रगणित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, विट्रिफाइड फ्लोर टाईल्स के विनिर्माता मैसर्स सोमानी एक्सल विट्रिफाइड प्रा. लि. (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उद्यम” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पक्ष में निम्नलिखित कस्टमाइज्ड पैकेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘पैकेज’ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का, इसके द्वारा आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **पैकेज के लिए पात्रता.**— उद्यम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पैकेज के अधीन उपलब्ध फायदे प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :-
 - (i) उद्यम स्कीम के अधीन यथा उपबंधित समस्त शर्तों को पूरा करेगा जिसमें पात्रता की शर्तें सम्मिलित हैं।
 - (ii) उद्यम राज्य में विट्रिफाइड फ्लोर टाईल्स के विनिर्माण के लिए भीलवाड़ा में एक नई इकाई स्थापित करेगा, और—
 - (क) 115 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा; और
 - (ख) कम से कम दो सौ पचहत्तर व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करायेगा।

- (ग) विट्रिफाइड पलोर टाईल्स का विनिर्माण करने में इसकी मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में स्कीम के उपाबंध-3 में वर्णित खनिजों का उपयोग करेगा।
- (iii) उद्यम राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन किसी सहायकी के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पण: अभिव्यक्ति "विनिधान" और 'नियोजन' का वही अर्थ होगा जो रा.वि. प्रो. स्की-2014 के अधीन परिभाषित है।

2. सहायकी.-

- क. सहायकी में विनिधान सहायकी और नियोजन जनन सहायकी सम्मिलित हैं और उद्यम को इस पैकेज के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर दस वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञात की जायेगी।
- ख. सहायकी की अधिकतम रकम कर(करों) जैसे कि मू.प.क. और के.वि.क. की कुल रकम का 75% होगी जो राज्य के भीतर उद्यम द्वारा विनिर्मित उत्पादों के,-
- (i) राज्य के भीतर विक्रयों के कारण (मू.प.क.) और,
- (ii) अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रयों के कारण (के.वि.क.);
- शोध्य हो गये हैं और सरकारी खजाने में निक्षिप्त करा दिये गये हैं।
- ग. सहायकी रकम का खण्डन नीचे दी गयी सारणी-1 में वर्णितानुसार होगा:-

सारणी-1

क्र.सं.	सहायकी का प्रकार	सहायकी की रकम
1.	विनिधान सहायकी	कर (करों) (मू.प.क.+के.वि.क.), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, का 70%।
2.	नियोजन जनन सहायकी	कर (करों) (मू.प.क.+के.वि.क.), जो शोध्य हो गये हैं और नीचे उप खण्ड ड के अध्याधीन, उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, के 5% तक।

- घ. विनिधान सहायकी इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए उद्यम द्वारा निक्षिप्त कराये गये कर के आधार पर उद्यम को अनुज्ञात की जायेगी कि सहायकी (विनिधान सहायकी + नियोजन जनन सहायकी) की कुल रकम कर (करों) (मू.प.क./के.वि.क.), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की रकम के 75% से अधिक नहीं होगी।

- ड. नियोजन जनन सहायकी की अधिकतम रकम वह होगी जो नीचे दी गयी सारणी 2 के स्तंभ संख्यांक 3 में वर्णित है, और सारणी 2 के स्तंभ संख्यांक 1 में यथा वर्णित कर्मचारी के प्रवर्ग के अनुसार, स्तंभ संख्यांक 2 में यथा वर्णित दर पर पात्र उद्यम को अनुज्ञात की जायेगी :

सारणी – 2

कर्मचारी का प्रवर्ग	नियोजन जनन सहायकी की रकम	नियोजन जनन सहायकी की अधिकतम सीमा और अन्य शर्तें
1	2	3
महिला/अ.जा. /अ.ज.जा. /निःशक्त व्यक्ति (नि.व्य.)	सेवा के प्रति संपूरित वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी 30,000/- रु.।	नियोजन जनन सहायकी की कुल रकम कर (करों) (मू.प. क./के.वि.क.), जो शोध्य हो गये हैं और उद्यम द्वारा निक्षिप्त करा दिये गये हैं, की रकम के 5% से अधिक नहीं होगी।
अन्य	सेवा के प्रति संपूरित वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी 25,000/- रु.।	

- च. इस खण्ड के अधीन अनुज्ञात सहायकी अनन्तिम होगी और उद्यम से 18% की दर पर ब्याज के साथ वसूल की जायेगी यदि वह पैकेज के खण्ड 1 के उप-खण्ड (ii) के अधीन यथा उपबंधित विनिधान करने और/या नियोजन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

3. छूटें.-

- (i) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ.12(11)एफ.डी./टैक्स/2016-268 दिनांक 30.03.2016 के अधीन माल के विनिर्माण में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से 50% छूट।
- (ii) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ.2(51)एफ.डी./टैक्स/2015-63 दिनांक 23.07.2015 के अधीन भूमि के क्रय या पट्टे और ऐसी भूमि पर संनिर्माण पर स्टाम्प शुल्क के संदाय से 100% छूट।

4. अन्य फायदे.- उपर्युक्त वर्णित फायदों के सिवाय, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित अन्य फायदे उद्यम को, यदि पात्र हो तो, उपलब्ध होंगे।

5. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.-

पैकेज के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए उद्यम, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित सुसंगत प्ररूप (प्ररूपों) में, प्ररूप के शीर्ष पर "आदेश सं. एफ. 12 (139) एफ.डी.

/टैक्स/2015-05 दिनांक 13.04.2016 द्वारा जारी कस्टमाइज्ड पैकेज के अधीन" अभिव्यक्ति वर्णित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा। स्कीम के अधीन यथा उपबंधित फायदे प्राप्त करने के लिए रीति और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

6. निबन्धन और शर्तें.-

- (i) विनिधान सहायकी और नियोजन जनन सहायकी के फायदे स्कीम के उपबंधों के अनुसार मंजूर किये जायेंगे।
- (ii) इस पैकेज के अधीन फायदे इस शर्त पर उपलब्ध होंगे कि उद्यम ने 115 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान कर दिया है और वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व कम से कम दो सौ पचहत्तर व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करायेगा।
- (iii) उद्यम विट्रिफाइड फ्लोर टाईल्स का विनिर्माण करने में इसकी मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में स्कीम के उपाबंध-3 में वर्णित खनिजों का उपयोग करेगा।

7. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और रा.वि.प्रो.स्की.-2014 के उपबंधों का लागू होना.-

- (i) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (iii) पैकेज के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

8. पैकेज के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को दूर करना.- इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कोई शिकायत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को ही उसकी नोडल एजेन्सी के माध्यम से निर्दिष्ट की जायेगी। उक्त समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०

(डा. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति

मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।

2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
10. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. मैसर्स सोमानी एक्सल विट्रिफाइड प्रा. लि., मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव